संख्या-138/2017/2136/22-2-2016-17(26)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम चौहान पुत्र श्री गरीबे चौहान, निवासी जनपद-महराजगंज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम चौहान पुत्र श्री गरीबे चौहान, निवासी-ग्राम-लेजार महादेवा टोला लीला छापर, थाना-फरेन्दा, जनपद-महराजगंज का रहने वाला है। दिनांक 19;08;1997 को दिन में लगभग 11:00 बजे बन्दी का पत्नी आरती देवी से लडाई झगडा होने लगा। दोनो मे वाद-विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने अपनी पत्नी पर खुरपा से चेहरे तथा गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-22/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महराजगंज द्वारा दिनांक 09.05.2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च नयायालय के आदेश दिनांक 11;09;2006 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2015 तक 17 वर्ष 08 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा बन्दी के भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा आपसी लडाई झगडे में पत्नी पर खुरपा से चेहरे तथा गले पर प्रहार कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 55 वर्ष है। बन्दी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयराम चौहान पुत्र श्री गरीबे चौहान, निवासी जनपद-महराजगंज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयराम चौहान (बन्दी संख्या-42062) पुत्र श्री गरीबे चौहान निवासी जनपद-महराजगंज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-138/2017/2136(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-138/2017/2136/22-2-2016-17(26)/2007

दिनांक 07 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम चौहान पुत्र श्री गरीबे चौहान, निवासी-ग्राम-लेजार महादेवा टोला लीला छापर, थाना-फरेन्दा, जनपद-महराजगंज का रहने वाला है। दिनांक 19;08;1997 को दिन में लगभग 11:00 बजे बन्दी का पत्नी आरती देवी से लडाई झगडा होने लगा। दोनो मे वाद-विवाद बढ़ जाने पर बन्दी ने अपनी पत्नी पर खुरपा से चेहरे तथा गले पर प्रहार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-22/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महराजगंज द्वारा दिनांक 09.05.2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च नयायालय के आदेश दिनांक 11;09;2006 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2015 तक 17 वर्ष 08 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा बन्दी के भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा आपसी लडाई झगडे में पत्नी पर खुरपा से चेहरे तथा गले पर प्रहार कर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 55 वर्ष है। बन्दी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयराम चौहान पुत्र श्री गरीबे चौहान, निवासी जनपद-महराजगंज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in